

नेषमवनी उठाना कावश्य है इसलिए उषीं छात्र
उभूत नेषमवनी कावेन त्वीरुग विषा जाडा नेषम-
वनी कावेन विषा जावे।

फल: उषीं छात्र उभूत नेषमवनी
कावेन त्वीरुग विषा जाडा तद्वीरुग वषुड उ
उमिशना निधुक्त विषा जाता है व फीरुग विषा
जाता है कि काय त्वमं या अयने अचिनत्तु विषा
भा भू: कमिलेय निरिसु के उषीं उ च्यातडी
खेले ही पन्नी नेषमवनी मोडे पर कुलुड जमा-
डाडा डरे पालना रिपोरे प्राप्त होने पर शशील
पमावनी है पमावनी केवल बुधा है, डजेनम्ब
के डम है, डाविल इफल है।

सहायक कलेक्टर (SDO)

खायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(न्याय आपके द्वार 2017 केम्प कोर्ट, छीतर का पार)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2017

दिनांक- 28/06/2017

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 बुलाराम पुत्र टीकुराम
निवासी धतरवालो का सरा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर


1 बालाराम पुत्र शिवजीराम वगैरा 7
निवासी धतरवालो का सरा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या. 7/17

आदेश

मौजा धतरवालो का सरा पटवार हल्का छीतर का पार के खेत खसरा नम्बर क्रमश 426/34 रकबा 44.17 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी भी अधिनस्थ भूअनिरीक्षक को प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु /नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


हेताराम चौहान
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 822 to 826
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:-28/06/2017

1. तहसीलदार बायतु ।
2. पटवारी हल्का छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री बुलाराम पुत्र टीकुराम।
4. विप्रार्थी श्री बालाराम पुत्र शिवजीराम वगैरा 7।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु /नागाणा ।


उपखण्ड अधिकारी बायतु